

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, बसिया (गुमला)।

नीलाम पत्र वाद सं० 54/2021-22

कं० सं०	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षरी	टिप्पणी
15/7/22	अधियाची पदाधिकारी, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया पालकोट शाखा के लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री/श्रीमति अजय कुमार सिंह पिता/पति तारकेश्वर सिंह, ग्राम नवाडीह थाना पालकोट जिला गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए मॉ० 105869:00 रुपये बकाय दर्शाया गया है। अभिलेख उपस्थापित। देनदार को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्गत नोटिस के आलोक में देनदार श्री/श्रीमति अजय कुमार सिंह पिता/पति तारकेश्वर सिंह, ग्राम नवाडीह थाना पालकोट जिला गुमला के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया पालकोट से प्राप्त ऋण को जमा कर दिया गया है। शाखा बैंक ऑफ इंडिया पालकोट के द्वारा उक्त देनदार के ऋण खाता को बंद करने संबंधी पत्र सं० 4930/PLK/2019-20/AB/34 दिनांक 10/03/2022 प्राप्त है। अतः बैंक ऑफ इंडिया पालकोट से निर्गत पत्र के आलोक में उक्त नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई देनदार के विरुद्ध समाप्त की जाती है। लेखापित।  अनुमण्डल पदाधिकारी -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी बसिया (गुमला)।	